रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102023-249373 CG-DL-E-13102023-249373

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 583] No. 583] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 12, 2023/आश्विन 20, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 2023/ASVINA 20, 1945

खान मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. 736(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में,—
 - (i) मद 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"28क	लिथियम:	उत्पादित अयस्क में लिथियम धातु पर प्रभार्य लंदन मेटल विनिमय
		कीमत का तीन प्रतिशत।";

- (ii) मद 33 में, "मोनोजाइट" शब्द के स्थान पर "तटीय बालू खनिजों में पाये जाने वाले मोनोजाइट" शब्द रखे जाएंगे;
- (iii) मद संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियांअंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

6519GI/2023 (1)

"34क	नाइओबियम:	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट नाइओबियम धातु पर प्रभार्य
	(i)प्राथमिक (कोलमबाइट-	नाइओबियम धातु की औसत कीमत मूल्य का तीन प्रतिशत
	टैंटालाइट से भिन्न अयस्कों से	
	उत्पादित)	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट उपोत्पाद नाइओबियम धातु पर प्रभार्य
	(ii)उपोत्पाद (कोलमबाइट-	नाइओबियम धातु की विक्रय कीमत का तीन प्रतिशत।";
	टैंटालाइट से भिन्न अयस्कों से	
	उत्पादित)	

(iv) मद संख्या 38 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

"38क	दुर्लभ मृदा तत्व(तटीय बालू खनिजों में	उत्पादित अयस्क में अंतर्विष्ट दुर्लभ मृदा ऑक्साइड पर
	पाये जाने वाले मोनाइजाइट से भिन्न	प्रभार्य दुर्लभ मृदा ऑक्साइड (आरईओ) की औसत विक्रय
	अयस्कों से उत्पादित):	कीमत का एक प्रतिशत।"।
	,	,

[फा. सं. एम.VI-16/85/2022-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- खान और खनिज (विकास और विनियमन)अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की दूसरी अनुसूची का संशोधन सा.का.िन.175(अ). तारीख 31 मार्च, 1975 द्वारा किया गया था और अंतिम बार सा.का.िन.204(अ). तारीख 15 मार्च, 2022 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF MINES NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2023

- **G.S.R.** 736(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—
- 2. In the Second Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957,—
 - (i) after item 28 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

"28A.	Lithium:	Three per cent. of London Metal Exchange price chargeable on the
		Lithium metal in the ore produced.";

- (ii) in item 33, for the word "Monazite", the words "Monazite occurring in beach sand minerals" shall be substituted;
- (iii) after item 34 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

"34A.	Niobium:	
	(i) Primary (produced from ores other than Columbite- tantalite)	Three per cent. of average sale price of Niobium metal chargeable on the Niobium metal contained in the ore produced.
	(ii) By-product (produced from ores other than Columbite-tantalite)	

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

(iv) after item 38 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:-

the ore produced.".
the ore produced

[F. No. M.VI-16/85/2022-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL Jt. Secy.

Note:- The Second Schedule to the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) was amended vide G.S.R. 175(E), dated the 31st March, 1975 and was lastly amended vide G.S.R. 204(E), dated 15th March, 2022.